भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अंतर्गत
पंचम झारखण्ड विधान सभा के
अष्टम (बजट) सत्र, 2022

में

माननीय राज्यपाल, झारखण्ड

श्री रमेश बैस

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)
झारखण्ड, राँची

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

राज्य विधान सभा के इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, सभी माननीय सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूँ। चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबा साहेब की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो या भगवान बिरसा का सामाजिक दर्शन हो, हमें मिलकर इन सपनों को पूरा करने के लिए सतत् प्रयासरत रहना होगा।

2. हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा स्वीकार किये जाने की अपेक्षा भी रखता है। इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व बनता है कि वे राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए राज्यवासियों की आशाओं– आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने के लिए कृत संकल्पित रहें।

3. हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा–परिचर्चा तथा वाद–विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है। हमें इससे बचना चाहिए।

4. राज्य के चतुर्दिक विकास के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है। हमारी सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित हो सके एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सके।

5. राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उद्योग धंधों का विकास हो तथा विकास का समुचित लाभ राज्य की जनता को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा नीतियों में

अपेक्षित सुधार किया जा रहा है। साथ ही, जहाँ भी अपेक्षित है, नई नीतियों का निर्माण एवं नियमों–विनियमों में आवश्यक संशोधन भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

6. नये झारखण्ड के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्त्तन लाने के लिए सराहनीय गति और निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जमीनी स्तर पर किये गये सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में राज्य की रैंकिग में अभूतपूर्व सुधार आया है।

7. बजट सत्र सभी सत्रों से अधिक अवधि के लिए आहूत किया जाता है। यह एक अच्छा अवसर है, जिसके दौरान जन की बातों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। मेरी इच्छा है कि इस सदन का हर सदस्य इस अवसर का भरपूर लाभ उठाये।

8. हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निःस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजनान्तर्गत अबतक 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में रु. 836.57 करोड़ हस्तांतरित की गई है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजनान्तर्गत खरीफ 2021 से पहली बार Seed Token के माध्यम से बीज वितरण की शुरूआत की गई है। इस योजनान्तर्गत खरीफ 2021 में राज्य में कुल 37047 क्विंटल एवं रबी 2021–22 में अब तक 32743 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है।

9. हमारी सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की भांति किसानों से अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त रु. 110/– प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है।

10. हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहाँ कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं इनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपये की लागत से **समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना–सह–कृषक पाठशाला** योजना लागू की गयी है।

11. हमारी सरकार ने पशुपालन की महत्ता को स्वीकार करते हुए **"मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना"** की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास कृषि एवं पशुपालन तथा कल्याण विभाग के वित्तीय संसाधन के अभिसरण से प्रारंभ की गई इस योजना से स्वरोजगार के रास्ते पर बढ़ रहे लगभग 50 हजार ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है।

12. पेयजल मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। राज्य में 2024 तक कुल 59,23,320 ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक कुल 10,89,904 घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत से कुल 49,656 ग्रामीण जलापूर्ति की योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

13. राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र, जो जलापूर्ति की सुविधा से आच्छादित नहीं हो पाये हैं या आंशिक रूप से आच्छादित हैं, उन टोलों में जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य की सभी 4374 पंचायतों में 05 नलकूप प्रति पंचायत की दर से कुल 21,870 नलकूप स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।

14. शहरों और गाँवों के बीच की दूरी कम करने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारतनेट फेज–1 तथा फेज–2 परियोजना के तहत 4,638 ग्राम पंचायत/प्रखण्ड

मुख्यालयों में से 4533 तक Optical Fibre Cable (OFC) की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष पंचायत मुख्यालय तक OFC बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है।

15. हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 गठित किया है, जिसकी नियमावली तैयार की जा रही है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् प्रत्येक नियोक्ता द्वारा रु0 40,000/– (चालीस हजार रुपये) से अनधिक या सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों, जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हों एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्ति का 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जायेगा।

16. हमारी सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों के साथ MoU किया है। श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के माध्यम से Labour Employment Enhancement Programme (L.E.E.P.) का संचालन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत राज्य के नियोजनालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है। Industrial Training Institute (ITI) का सुचारू रुप से संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। युवक–युवतियों को Soft Skill का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष से राज्य के बेरोजगार/अध्ययनरत युवकों एवं युवतियों के लिए "**मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना**" प्रारंभ की जा रही है।

17. राज्य में समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण ही राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है। इससे राज्य में न सिर्फ पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बल्कि रोजगार के नये अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

18. हमारी सरकार द्वारा **झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा** योजनान्तर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ 5 योजनाएँ संचालित की

जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक 6000 श्रमिकों को कुल 11.94 करोड़ रुपये की समतुल्य राशि का लाभ दिया गया है।

19. हमारी सरकार राज्य के बुनकरों, परम्परागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के गरीब नागरिकों के स्वरोजगार के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनकरों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राँची में NID अहमदाबाद के सहयोग से Jharkhand Institute of Craft & Design संस्थान की स्थापना की जा रही है।

20. झारखण्ड राज्य खनिज बाहुल्य प्रदेश है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की काफी संभावनाएँ हैं, जिसका उपयोग प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के Mineral (Auction) Rule, 2015 यथा संशोधित 2021 के अधिसूचित होने के उपरान्त हमारी सरकार नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक तैयार करने का कार्य कर रही है। अभी तक कुल 07 खनिज ब्लॉकों की नीलामी का कार्य संपादित किया जा चुका है। वर्तमान में 04 लौह अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क, 04 चूनापत्थर, 03 बॉक्साईट तथा 02 ग्रेफाईट खनिज ब्लॉक की नीलामी की जायेगी।

21. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन दिसम्बर, 2021 तक कुल 16,850 नये कर–दाता निबंधित हुए हैं। GST के अधीन कुल निबंधन की संख्या 1,87,997 हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में सरकार द्वारा माह जनवरी, 2022 तक कुल रूपये 16611.80 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है जो विगत वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक संग्रहित कुल राजस्व 11693.33 करोड़ की तुलना में 4918.47 करोड़ रूपये अधिक है तथा यह 42.06 प्रतिशत का वृद्धि–दर दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कुल 18422.93 करोड़ के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी, 2022 तक **90.17 प्रतिशत** की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है।

22. राज्य में जनवरी 2021 से **झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना** लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर यथा एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 05 किलोग्राम चावल प्रति माह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 4,93,143 परिवार आच्छादित हुए हैं एवं 14,60,377 लाभुक लाभान्वित हुए हैं।

23. **"सोना–सोबरन धोती–साड़ी वितरण"** योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में दो बार एक धोती/लुंगी तथा एक साड़ी रूपये 10/– प्रति वस्त्र की अनुदानित दर पर वितरित किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत वस्त्रों के वितरण का शुभारंभ दिनांक 22.09.2021 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 32,56,004 धोती, 18,55,610 लुंगी एवं 51,18,247 साड़ी का वितरण किया गया है।

24. वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 (NFSA) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों को राज्य में निबंधित एवं प्रयोग किये जा रहे दोपहिया वाहनों के लिए उनके आवेदन के आलोक में प्रति माह रूपये 250/– (दो सौ पचास रूपये मात्र) पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु CMSUPPORTS (Chief Minister Subsidy for Purchase of Petrol for Riding Two-wheelers Scheme) योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत जनवरी, 2022 तक निबंधित 1,15,117 लाभुकों को सब्सिडी की राशि उनके खाते में देने की कार्रवाई की गई है।

25. राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों के उन्नयन एवं विकास पर बल दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने वर्ष 2021–22 में अबतक लगभग 2100 कि0मी0 पथों की राईडिंग क्वालिटी में सुधार/मजबूतीकरण एवं

लगभग 580 कि0मी0 पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2021–22 में लगभग रू0 1560 करोड़ की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का उद्घाटन किया गया है।

26. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत 210 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 75 पुल पूर्ण करने के लक्ष्य के विरूद्ध 74 पुलों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

27. हमारी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सात पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड–सह–रिसेप्शन भवन के निर्माण की योजना क्रियान्वित की है जिसके अंतर्गत मलूटी तथा बासुकीनाथ में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष पाँच स्थलों यथा–रजरप्पा, पारसनाथ, इटखोरी, बेतला तथा शिवगादीधाम में शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

28. झारखण्ड को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु हमारी सरकार द्वारा नई **पर्यटन नीति, 2021** लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के साथ–साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि कराना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए राज्य के लोगों को आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाना है। इस नीति के तहत पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जिसे Single Window के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

29. आधुनिक सभ्यता पूर्णतः बिजली पर निर्भर है। राज्य में गुणवत्ता पूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। वार्षिक विकास योजना के तहत राज्य में गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए बुनियादी ढाचों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अतिमहत्वपूर्ण ओवरहेड 33KV, 11KV लाइन एवं एलटी लाइन को UG केबल एवं एलटी–एबी केबल से Replace करने का कार्य किया जा रहा है।

जानमाल की सुरक्षा एवं विद्युत चोरी रोकने हेतु एलटी–एबी केबल एवं स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की जा रही है।

30. नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होती है। हमारी सरकार ने पी0एम0–कुसुम योजना के अन्तर्गत 8000 ऑफग्रिड सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत किया है, जिसके विरूद्ध लगभग 175 सोलर पम्प का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

31. राज्य के देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू जिला में आवंटित भूमि में 20–20 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा, राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहेगी।

32. व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रभाव परिवार और देश, दोनों के विकास पर पड़ता है। हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समानता के साथ काम कर रही है। कोरोना वैश्विक महामारी से छुटकारा पाने के लिए पूरा राष्ट्र आज कृतसंकल्प है। हमारी सरकार ने कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु समय से सभी आवश्यक कदम उठाये। सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों का ही प्रतिफल है कि कोरोना की इस तीसरी लहर को रोकने में हम सफल हुए हैं।

33. राज्य में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु वर्तमान में 14863 ऑक्सीजन समर्थित बेड, 3204 आई0सी0यू0 बेड, 8738 साधारण बेड तथा 1456 वेंटीलेटर बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

34. राज्य में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड–19 से सुरक्षा देने हेतु टीकाकरण कार्यक्रम दिनांक–3 जनवरी, 2022 से आरंभ किया गया है। राज्य में 15–18 आयुवर्ग के eligible लाभुकों की संख्या 23,98,000 होने का आकलन किया गया है।

35. युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग हमारी सरकार, खेल–कूद के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है। LWE इलाकों में ग्रामीण युवा को खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सामान्य जीवन शैली यापन के निमित्त प्रेरित करने तथा आदिवासी युवा प्रतिभा विकास हेतु SAHAY (Sports Action towards Harnessing Aspiration of Youth) योजना लागू की गई है, जिसके तहत राज्य के LWE प्रभावित 05 जिलों के कुल 55 प्रखण्डों/65 थानों में फुटबॉल, बॉलीबॉल, हॉकी एवं एथलेटिक्स का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन हेतु सभी बच्चों को आवश्यक सुविधाएँ यथा– खेल किट एवं आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

36. हमारी सरकार ने टोक्यो ओलम्पिक गेम्स में सेमीफाईनल तक पहुँचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निक्की प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को 50–50 लाख रूपये का नगद पुरस्कार सहित स्कूटी, लैपटॉप एवं स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया है। साथ ही राज्य के तीरंदाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मानित करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु 03 तीरंदाजों श्रीमती दीपिका कुमारी, सुश्री कोमोलिका बारी एवं सुश्री अंकिता भकत को क्रमशः 45 लाख एवं 20–20 लाख रूपये की राशि प्रदान करने तथा इनके प्रशिक्षक श्रीमती पूर्णिमा महतो को 12 लाख रूपये नगद पुरस्कार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

37. झारखण्ड के आदिवासी युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा **मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृति योजना** लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 (दस) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नॉर्थन आयरलैण्ड में अवस्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कतिपय कोर्स में उच्चस्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स (Masters)/(M.Phil) Full degree Program की डिग्री प्राप्त

करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के 07 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। भविष्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

38. राज्य सरकार के अधीन वर्ग–3 के रिक्त पदों पर अधिक–से–अधिक स्थानीय युवकों/युवतियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न नियुक्ति/परीक्षा संचालन नियमावली में अनिवार्य योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है।

39. वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अन्तर्गत 1025 लाख अनुमोदित मानवदिवस के विरूद्व अब तक कुल 1018 लाख मानवदिवस का सृजन करते हुए कुल 2955 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है। मनरेगा अन्तर्गत योजनाओं में पारदर्शिता लाने, शिकायतों के निवारण तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु राज्य के कुल 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है ।

40. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अन्तर्गत अबतक 10,44,321 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। **"बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना"** के अंतर्गत अबतक 29,925 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

41. महिला सशक्तिकरण के संकल्प को क्रियान्वित करते हुए राज्य में पहली बार हड़िया –दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की पहल की गई है। **"फुलो झानो आशीर्वाद योजना"** अंतर्गत राज्य की करीब 24 हजार महिलाओं को हड़िया–दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा जा चुका है।

42. आजादी के मूलमंत्र में आत्मनिर्भरता की छिपी भावना पर कार्य करते हुए हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हुए "**पलाश ब्राण्ड**" को प्रमोट कर रही है। **पलाश ब्राण्ड** अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, मडुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पादों को लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास के जरिए पलाश ब्राण्ड की शुरूआत कर सखी मंडल के उत्पादों को राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है।

43. राज्य में आदिम जनजाति परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु **उड़ान परियोजना** के तहत 1784 सखी मंडलों में करीब 21,126 आदिम जनजाति परिवारों को जोड़ा गया है। वहीं 16,446 आदिम जनजाति परिवारों को सशक्त आजीविका उपलब्ध कराई गई है।

44. राज्य में 06 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण उन्मूलन एवं किशोरियों तथा महिलाओं में व्याप्त रक्ताल्पता (Anaemia) की समस्या को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार गंभीर है। इन समस्याओं को उन्मूलित करने के निमित्त विभिन्न विभागों के अभिसरण से समन्वित तथा समयबद्ध प्रयास स्वरूप **समर (SAAMAR-Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anaemia Reduction) अभियान** राज्य में संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के साझा प्रयासों के तहत् विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर आगामी 1000 दिनों में कुपोषण एवं रक्ताल्पता की समस्या से मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार किया जायेगा।

45. राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सभी योग्य लाभुकों को आच्छादित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा **सर्वजन पेंशन** की योजना लागू की गई है, जिसके तहत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। अब आवेदक स्वयं या पति/पत्नी, केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत नहीं हो अथवा आयकर अदा करने वाले परिवार के सदस्य नहीं हों तो राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वे पात्र माने जायेगें। इस योजना को लागू करने के पश्चात लगभग 2.8 लाख नये लाभान्वितों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

46. **''स्वच्छ भारत अभियान''** अंतर्गत गिरिडीह एवं बुण्डु में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्लांट का अधिष्ठापन किया जा चुका है तथा देवघर, झुमरी तिलैया एवं चाकुलिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रारंभ कर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021 में स्वच्छता कार्यों हेतु देश के समस्त राज्यों में से झारखण्ड राज्य को (सौ निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में) प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा जुगसलाई नगर परिषद् को फीडबैक श्रेणी में सम्मानित किया गया है।

47. **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** अंतर्गत आवासीय इकाइयों की कुल मांग 2.47 लाख है, जिसमें अब तक भारत सरकार से कुल 2,18,670 आवासीय इकाई स्वीकृत हैं। इनमें से कुल 1,52,229 (70%) आवास ग्राउन्डेड (Grounded) हैं, जिसमें से 82,136 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 70,093 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

48. मुख्यमंत्री श्रमिक योजनान्तर्गत 50 नगर निकायों में जॉब कार्ड हेतु अबतक कुल 59,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 50,672 जॉब कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। निबंधित श्रमिकों को शहरी क्षेत्र में कार्य आवंटित किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत अब तक कुल 86,36,120 मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

49. राज्य गठन के समय से ही पारा शिक्षकों की समस्या लगातार बनी रही है। हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या को समझते हुये समुचित कदम उठाया है। सरकार ने पारा शिक्षकों की सेवा को 60 वर्ष के लिये सुनिश्चित कर दिया है। टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला लिया गया है तथा केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में

40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जायेंगे।

50. शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

51. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गयी है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 **उत्कृष्ट विद्यालय**, 325 प्रखण्ड स्तरीय **लीडर स्कूल** तथा 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय **आदर्श विद्यालयों** को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

52. हमारी सरकार के द्वारा राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु **"झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना–2021"** लागू किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राँची विश्वविद्यालय तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से स्थापित "खाँची रेडियो स्टेशन" से ग्रामीण जनता को लोक भाषा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है।

53. राज्य के युवा जो वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव में आकर भटक गये हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें एवं राज्य के विकास में योगदान दे सकें। जिन इलाकों को उग्रवाद के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है वहाँ विकास की गति में तेजी लायी जा रही है, ताकि उग्रवाद वहाँ दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित हैं, उन इलाकों को अभियान एवं विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराने के अपने दृढ़ निश्चय पर हमारी सरकार अटल है।

54. शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने **"आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार"** कार्यक्रम की शुरूआत की, जिससे शासन में हर स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई। साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन उनके द्वार तक पहुँच कर प्रशासन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 6727 शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया गया। कुल 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 31 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। सरकार की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि जनता के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ तथा राज्य की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है।

55. राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।

56. **मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** के अंतर्गत कुल लगभग 1200 युवक/युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किये हैं। आज ये लोग 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमारी सरकार ने बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है।

57. राज्य निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी झारखण्ड अपने आन्दोलनकारियों की सुध नहीं ले पाया, यह कष्टप्रद है। जिनके कारण आज झारखण्ड राज्य का गठन हुआ, उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा जरुरी है, इसलिए झारखण्ड

अलग राज्य निर्माण में शामिल आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ–साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण की योजना को सरकार ने लागू कर दिया है। आन्दोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों का अपना दौरा भी बलिदानी धरती **'पीरटांड'** से प्रारंभ कर चुके हैं।

58. सरकार ने **'ट्राइबल यूनिवर्सिटी'** के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी भाषा संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से सम्बंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखण्ड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ–साथ इनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा।

59. राज्य में पहली बार वर्ष 2021–22 में Outcome बजट तैयार कर कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार किये जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा तथा विभागों द्वारा व्यय की गयी राशि से योजनाओं के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हो सकी है, उसका आकलन करना है। इस आउटकम बजट में 13 विभागों के बजट को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 500 योजनाओं का प्रावधान है।

60. हमारी सरकार ने बजट को जनोपयोगी एवं पूर्ण फलदायी बनाने हेतु पहली बार **''हमर अपन बजट''** पोर्टल को लॉन्च किया और उस पर आम प्रबुद्ध जनों एवं देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की राय प्राप्त की गई है।

61. विधान सभा के सभी सदस्य, भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की, भारत की संप्रभुता और अखण्डता को कायम रखने की एवं इस सदन में सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ लेते हैं। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह शपथ आपको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन् हेतु मार्गदर्शन करती रहेगी। इस विधान सभा के लिए निर्वाचित होने के

पश्चात् आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षक हैं। यह आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएँ और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से हल ढूँढे।

62. अन्त में मैं, आप सभी को इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूँगा कि देश और राज्य में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गरिमामयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे। आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि आप सभी आपसी दलीय भेद–भाव भुलाकर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभायेंगे एवं राज्य को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में आप सबों का सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त होगा।

आइए! हम सब मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, एक साथ चलें, एक दिशा में चलें, एक निष्ठा से चलें और चमकते झारखण्ड के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें।

जय हिन्द! **जय झारखण्ड!**